सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 02, सोमवार, *शाके* 1945-जनवरी 22, 2024 *Magha 02 Monday , Saka 1945- January 22 , 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, अक्टूबर 05, 2023

संख्या प. 2 (28) वन/2023 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन भूमि अथवा बंजर भूमि सरकार की संपति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है।

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है।

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिस के बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा वन बंदोबस्त अधिकारी/ सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के परन्तु (PROVISO) द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसार में राजस्थार सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद् द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है। परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या

साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वनभूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
मोनाली सेन,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रथम अनुसूची

क्र. स.	नाम वनखण्ड/ नाम चक	नाम तहसील	नाम जिला	वन खण्ड का क्षेत्रफल	वन खण्ड के क्षेत्रफल का विवरण				सीमा	वि वि
					नाम ग्राम/ चक	ख न. / मु.न. मय किला नम्बर	किला न म्बर	रकब्बा (बीघा में)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**		**8**	**9**	**10**
1	रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स	बज्जू	बीकानेर	3030-16 बीघा 766.573 हैक्टर	रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (अ)	776		1-14	उत्तर - (खसरा नम्बर 42,43)	
						779		53-10	दक्षिण - (सरहद ग्राम गज्जेवाला, व खसरा नम्बर 792)	
						780		86	पूर्व - (खसरा नम्बर 534,533,522,644,643,636,789,785,790,792,44,90,91,98,99,162,163,164,434,435,436,534)	
						783		53	पश्चिम - (नहर)	
						784		36		
						787		29-14		

						789		36-18		
						792		40		
						45		96		
						46		96		
						47		44-14		
						48		54-13		
						86		3-15		
						88		96		
						89		96		
						99		100		
						100		41-06		
						101		128-12		
						157		66		
						158		75-14		
						161		11-10		
						162		144		
						163		60		
						164		75		
						434		50		
						435		60		
						437		140		
						438		78		
						439		36		
						442		10		
						514		94-10		
						519		59		
						520		134		
						521		120		
						533		15		
						534		75		
						636		15		
						642		85		
						643		75		
						644		60		
						645		99		
						646		74		
						647		31-10		
						778		34-06		
						791		104-10		
				रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (अ) का योग				2975-16		
				रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स		433		15	उत्तर - (खसरा	

				(ब)					नम्बर 165)	
									दक्षिण - (खसरा नम्बर 432)	
									पूर्व - (खसरा नम्बर 433)	
									पश्चिम - (खसरा नम्बर 434)	
				रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (ब) का योग				15-00		
				रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (स)		431		40	उत्तर - (खसरा नम्बर 432)	
									दक्षिण - (खसरा नम्बर 431)	
									पूर्व - (खसरा नम्बर 431)	
									पश्चिम - (खसरा नम्बर 436)	
				रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (स) का योग				**40-00**		
					रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स (अ+ब+स) का महायोग 3030-16 बीघा 766.573 हैक्टर					

दीपेन्द्र,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
80 RD CWB
इं.गां.न.परि.स्टेज-।।
बीकानेर।

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
इं.गां.न.प., स्टेज-।।
बीकानेर।

द्वितीय अनुसूची

आरक्षित वृक्ष

S.No.	Botanical Name	Hindi Name
1	Azadirachta indica, A.juss	नीम
2	Acacia arubica willd	बबूल
3	Acacia jaquemontil	बोली
4	Aerua tometosa	बुई
5	CordiaMyxa, Linn	लसौडा
6	Cordia rothi	गूंदी
7	Calligonum polygonouides	फोग
8	Calotropis procera R.Sr.	आक
9	Cassia fistula, Linn	अमलतास
10	Capparis decidna	केर
11	cenchrus cilliaris	धामण घास
12	Dalbergis sissoo, Roxb	शीशम
13	Encalyptus spp	सफेदा
14	Ficus religiosa, Linn	पीपल
15	Ficus bengalensis Linn	बड
16	Lasiuress sindieus	सेवन घास
17	Leptadeniam Reticulatam Wight & Ar	खीप
18	Morus alba, Linn	शहतूत
19	Ricinus communis	अरण्ड
20	Prosopis spiicigera	खेजडा
21	Prosopis cineraria	खेजडी
22	prosopis juliflora	विलायती खेजडा
23	Salvadora oligoides	पीलू
24	Salvadora persica	जाल
25	Saccharum munja	मूंजा घास
26	Acacia Tortalis	इजराईल बबूल
27	Tecomella undulata	रोहेडा
28	Zizyphus jujuba Lam	बर
29	zizyphus xylopyra willd	घोट
30	Zizyphus nummularia	भड शेर
31	Haloxylen salvecornicum	लाणा

दीपेन्द्र,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
80 RD CWB
इं.गां.न.परि.स्टेज-।।
बीकानेर।

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
इं.गां.न.प., स्टेज-।।
बीकानेर।

परिशिष्ट - क

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण - पत्र

(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड/चक :- रणजीतपुरा बारानी (हाल भवानी मेहरपुरा) पार्ट-स

रेन्ज :- इकाई 80 आर.डी.

नाम वन मण्डल :- उप वन संरक्षक, खण्ड-।।, बीकानेर

1. संलग्न प्रारुप में दशाई गई भूमि का वर्गीकरण गैर कृषिपायती है। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में उपनिवेशन लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रों में एस.बी.पी. का कार्य करवाया गया है इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्र में एस.डी.एस. वृक्षारोपण का कार्य 1996-2005 करवाया गया है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में कुछ क्षेत्रों में भी विकास कार्य करवाये जाने की सम्भावना है।
4. भूमि पर वृक्षो का घनत्व लगभग 50 प्रतिशत है इस वन खण्ड में प्रमुख प्रजातिया बैर, खेजडी, टोर्टलिस का लगभग 50 प्रतिशत है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों, अराजीराज, सडक का है चारों और की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख कॉलम संख्या 9 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डों में वाच्छित मानचित्र (नक्शें) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं सीमाओं एवं स्थिति के अनुरुप है प्रस्तावित वन क्षेत्रों में सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है ।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों में विज्ञप्तियों के प्रारुप यथा विधी पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है। किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरुप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरुप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है । जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।
8. उक्त भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

दीपेन्द्र,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
80 RD CWB
इं.गां.न.परि.स्टेज-।।
बीकानेर।

वीरेन्द्र सिंह जोरा,
उप वन संरक्षक,
इं.गां.न.प., स्टेज-।।
बीकानेर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।